

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 4655/2015

Madan Mohan Jat

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan And Anr

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Durgesh Kumar Jangir, Adv. for Mr. Tarun Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Arti Sharma, Dy.G.A. with Mr. Rajendra Singh Shekhawat, Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

13/08/2025

याची की ओर से यह याचिका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत पुलिस थाना—बहरावण्डा कलां, जिला—सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—22/2015, अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120—बी व 177 भारतीय दण्ड संहिता को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार मामले में याची के खिलाफ आरोप पत्र दिनांक 22.12.2015 को विचारण न्यायालय में पेश किया जा चुका है। मामले के विचारण में कोई स्थगन आदेश नहीं है। ऐसी स्थिति में कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे मामले के विचारण के संबंध में प्रगति रिपोर्ट विचारण न्यायालय से तलब कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली तीन सप्ताह उपरांत सूचीबद्ध की जावे।

(ASHUTOSH KUMAR),J